भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2599
16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: बांसवाड़ा में एपीएमसी बाजारों का कार्यकरण

2599. श्री राजकुमार रोतः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विगत पांच वर्षों के दौरान ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) से जुड़े एपीएमसी बाजारों की वर्ष-वार, राज्य-वार और जिला-वार संख्या कितनी है और इस प्लेटफॉर्म पर कुल कितना कृषि व्यापार हुआ है;

(ख) वर्तमान में बांसवाड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में संचालित एपीएमसी बाजारों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने बाजार ई-एनएएम परियोजना के अंतर्गत संचालित किए जा रहे हैं;

(ग) इन बाजारों में गुणवत्ता जांच, वजन मापने की मशीनों, इंटरनेट तक पहुंच और प्रशिक्षण की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का बांसवाड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक एपीएमसी बाजार खोलकर सभी कृषि बाजारों में ई-एनएएम को प्रभावी ढंग से लागू करने और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक विशिष्ट योजना विकसित करने का विचार है और यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान 522 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। कुल मिलाकर, 30 नवंबर 2025 तक 1,522 मंडियों को ई-एनएएम प्लेटफॉर्म पर शामिल किया जा चुका है।

30 नवंबर 2025 तक, विभिन्न कृषि उत्पादों के 12.77 करोड़ मीट्रिक टन (एमटी) के कुल व्यापार और गणना योग्य वस्तुओं (जैसे कि नारियल, पान, स्वीट कॉर्न, नींबू और बांस) की 54.62 करोड़ इकाइयों को ई-नाम पर दर्ज किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 (नवंबर 2025 तक) के दौरान ई-नाम प्लेटफॉर्म पर किए गए कृषि व्यापार (मूल्य और मात्रा) का राज्यवार, जिलावार

और वर्षवार विवरण https://sfacindia.com वेबसाइट पर "फॉर्म और दस्तावेज़" खंड के अंतर्गत उपलब्ध है।

(ख): राजस्थान सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बांसवाड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्तमान में दो कृषि उपज बाजार समितियां (एपीएमसी) - बांसवाड़ा और डूंगरपुर - कार्यरत हैं, और दोनों ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत हैं।

(ग): राजस्थान सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रत्येक एपीएमसी को ई-नाम के अंतर्गत दो गुणवत्ता परीक्षण मशीनें, दो इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनें और न्यूनतम 5 एमबीपीएस की गति वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। ई-नाम राज्य समन्वयक द्वारा त्रैमासिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं। पिछले पांच वर्षों में 40 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 4,027 हितधारकों को प्रशिक्षित किया गया है।

(घ): कृषि विपणन राज्य का विषय है, और कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) का विनियमन संबंधित राज्य कृषि उपज बाजार समिति अधिनियमों के तहत किया जाता है। ई-नाम एक मांग-आधारित योजना है, और मौजूदा मंडियों का एकीकरण राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है। राजस्थान सरकार से बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कृषि उपज बाजार समिति खोलने या ई-नाम से संबंधित किसी विशिष्ट विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****